फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती गुड्डीदेवी **विपक्षी : श्री सुरेश**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 57/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 05.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। उभय पक्षकारान द्वारा वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 1439 रकबा 16 बिस्वा होकर प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम 12/39वां हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 4 के नाम 5/29वां हिस्सा दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता ब्रजलाल पिता लख्मीचन्द ब्राहम्ण ने अपने हिस्से की भूमि में से 10/29वां हिस्सा वादीयां व प्रतिवादी सं. 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.02.99 से विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया। प्रतिवादी सं. 4 का 5/29वां हिस्सा राजस्व रेकार्ड में विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज हो गया लेकिन वादीयां का 5/29वां हिस्सा दर्ज नहीं हुआ हैं। तत्कालीन खातेदार ब्रजलाल जी की मृत्यु होने से उक्त भूमि उनके वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज हो चुकी हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादीया के वाद को स्वीकार कर विक्रय पत्र के आधार पर भूमि वादीयां के नाम दर्ज किये जाने पर सहमति व्यक्त की। वादीया द्वारा वाद पत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू 1 पेश किया जिसमें दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, नामान्तरकरण की नकल प्रदर्श 2, जमाबन्दी नकल प्रदर्श 3, मिलान खसरा प्रदर्श 4, विक्रय पत्र की प्रति प्रदर्श 5ए पेश किये।

वादीयां द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय की जो वादीया के नाम दर्ज नहीं हो सकी। खातेदार के वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 3 के द्वारा भी वादपत्र को स्वीकार किया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीयां का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप वाद वादीया स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 1439 किता 1 रकबा 16 बिस्वा भूमि में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.02.99 के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज भूमि में से वादीयां को 5/29वां हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.10 14:13:28 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 57/19 (वाद) GCMS No. : 2019/00090

उनवान

1. श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी मिठालाल सुराणा निवासी सनवाड तह. मावली।

.....वादीयां

बनाम

1. श्री सुरेश पिता ब्रजलाल ब्राहम्ण निवासी मावली तह. मावली।
2. श्री रमेश पिता ब्रजलाल ब्राहम्ण निवासी मावली तह. मावली।
3. श्री रघुनन्दन पिता ब्रजलाल ब्राहम्ण निवासी मावली तह. मावली।
4. श्रीमती पारसदेवी पत्नी मिठालाल निवासी मावली तह. मावली।
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु कपिल कुमार कोठारी, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 1439 किता 1 रकबा 16 बिस्वा भूमि में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.02.99 के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज भूमि में से वादीयां को 5/29वां हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.08.2022 को जारी की गई।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.10 14:13:28 IST
Reason: SelfAttested